ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक
भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत सराहन में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री पवन कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री किशोर कुमार	01.04.2024 to 23.07.2024 तक
2.	श्री बालक राम	24.07.2024 to 01.12.2024 तक
3.	श्री दलीप सिंह	02.12.2024 to 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के लेखों अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर बारे ।	4.3	0.26
2	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।	7.1	1.42
3	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।	8.1	4.28
4	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के बिना अनियमित भुगतान करने बारे।	8.3	5.05
5	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	8.4	0.23
6	आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना।	8.5	0.10
7	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री पर वॉइड्स की कटौती न करने बारे	8.6	0.54

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30-06-2024 से 07-07-2025 तक ग्राम पंचायत सराहन के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2024-2025	09/2024	07/2024

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।"

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या -14 दिनांक 07-07-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत सराहन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखोंकी वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4. (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत सराहन के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है।

स्व:-स्त्रोत व अनुदान

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2024-25	1.स्व-स्त्रोत	₹ 7,13,086.38	₹ 21,21,234.00	₹ 28,34,320.38	₹ 21,29,726.00	**₹ 7,04,594.38**
	2.अनुदान	₹ 8,06,174.70	₹ 2,43,58,343.51	₹ 2,51,64,518.21	₹ 2,49,07,300.51	**₹ 2,57,217.70**
	कुल	**₹ 15,19,261.08**	**₹ 2,64,79,577.51**	**₹ 2,79,98,838.59**	**₹ 2,70,37,026.51**	**₹ 9,61,812.08**

कुल योग ₹ 9,61,812.08

(ब) ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०) दिनांक 31-03-2025 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

अन्तर (अ – ब) ₹ 9,61,812.08.0 -₹ 9,35,805.28= ₹ 26,006.80

क्र ० संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	मद	राशि 31-03-2025
1.	19910100536	HPSCB SAHOO	VKVNY	₹ 1,21,757.40
2.	19910100537	HPSCB SAHOO	SDP	₹ 56,678.00
3.	19910100539	HPSCB SAHOO	SDRF	₹ 2,294.30
4	19910100538	HPSCB SAHOO	VMJS	₹ 12,170.00
5	19910100540	HPSCB SAHOO	BASP	₹ 22,452.00
6	19910100179	HPSCB SAHOO	GENERAL	₹ 4,40,283.20
7	17910107041	HPSCB MAIN CHAMBA	S.F ,SFC	₹ 2,80,170.38
8			CASH IN HAND	₹ 0.00
		कुल		₹ 9,35,805.28

उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2025 को राशि **₹ 26,006.80** का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.26 लाख का अन्तर।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं क्री थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-

03-2025 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में **परिशिष्ट -2** अनुसार **₹ 26,006.80** का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक :- 07.07.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

4.3 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचांयत के चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। ई-ग्राम स्वराज के अतर्गत संधारित रोकड़ बहियाँ मद/ शीर्ष अनुसार संधारित न करके एक ही शीर्ष / मद में संधारित की जा रही थी जिस कारण उक्त शीर्ष /मद के प्रांरम्भिक शेष व अन्त शेष का पता लगाना मुश्किल था तथा किस मद / शीर्ष में कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई व खर्च हुई अंकेक्षण में पता नही लग सका। जोकि न केवल अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-03 दिनांक 01-07-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को मद/ शीर्ष अनुसार तैयार किया जाएगा।

अतः भविष्य में उक्त मदों/शीर्षों को अलग अलग दर्शाकर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

4.4 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला , DPO 5th स्टेट अन्य प्राप्त अनुदानों/मदों को भी पंचायत द्वारा स्वः-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -12 दिनांक 07-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5. अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकंर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्वः-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक :- 07-07-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में सभा निधि की अधिक्य राशि को सावधि में जमा करवा दिया जाएगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -12 दिनांक 07-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

6.2 प्राप्त अनुदानों के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर

पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 04-07-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेखों को संबधित कर्मचारी से प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगें । अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.4 निर्माण कार्यों से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के 88 के अनुसार किसी भी विकास कार्य के निष्पादन के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान तकनीकी सहायक व कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र , निर्माण कार्यों के कार्य स्तर पर लिए गये फोटोग्राफ इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये थे।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 7-07-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, उक्त अभिलेखों को संबंधित कर्मचारी से प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. स्वः स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹1.42 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का

भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संगृहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुकता कर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली नियमानुसार नही की जा रही थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹142086/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2025 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	2024-25	134736	690	50	34500	169236	27150	142086

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 02-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संगृहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹4.28 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा

निविदायें,(Tenders), कुटेशन (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सराहन द्वारा **परिशिष्ट - 3** राशि ₹**428351**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई इसके अतिरिक्त उक्त स्टॉक की प्रविस्तियाँ भी नही की गई थी। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के क्रय हेतु निविदाएँ तो आमंत्रित की गई थी किन्तु उक्त निविदाओं से सम्बंधित औपचारिकतायें या तो अधूरी थी या अपूर्ण थी जिसमें निविदाओं को सादे कागज पर आमंत्रित करना, आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना लेटर पैड पर निविदा भरना , सरकारी कर से सम्बंधित दस्तावेज जेसे GST पंजीकरण, पिछली आयकर की रिटर्न का ब्यौरा इत्यादि भी सलग्न नही थे।

क्र० सं	विवरण	निधि का नाम	वाउचर संख्या /दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
1	Thakur Furnture House Vill kakdolu PO UTEEP	SF	NIL	FURNTURE /DOOR	49600
2	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	03/17.05.24	Sand	42000
3	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	03/17.05.24	Sand	24465
4	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	03/17.05.24	Aggrigate	42048
5	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	03/17.05.24	Sand	44380

6	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	03/17.05.24	Aggrigate	46800
7	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	03/17.05.24	Aggrigate	44496
8	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	03/07.07.24	Sand	11270
9	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	03/07.07.24	Aggrigate	23184
10	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	03/07.07.24	Sand	11270
11	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	03/07.07.24	Aggrigate	23184
12	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	03/07.07.24	Sand	34000
13	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	03/07.07.24	Sand	31654
				Total	**428351**

8.2 पंचायत द्वारा राशि ₹0.50 लाख का संदिग्ध भुगतान करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सराहन द्वारा राशि ₹**49600**/- की सामग्री निम्नलिखित विवरण अनुसार क्रय की गई थी किन्तु उक्त सामग्री न तो पंव्हायत स्टॉक रजिस्टर में पाई गई और न ही उक्त सामग्री उपयोग में लाइ गई थी और न ही उक्त सामग्री को माप पुस्तिकारों में दर्ज किया गया था जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है

क्र० सं	विवरण	निधि का नाम	वाउचर संख्या /दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
1	Thakur Furnture House Vill kakdolu PO UTEEP	SF	NIL	FURNTURE /DOOR	49600

अंकेक्षण अधियाचना संख्या -12 दिनांक 05-07-2025 द्वारा उक्त प्रकरण बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत सराहन के ध्यानार्थ लाया गया था जिसका कोई प्रतियुत्तर नही दिया गया ।

अतः उक्त को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बंधित कोष निधि में जमा करवाकर लेखा परीक्षा को अवगत करवाया।

8.3 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के राशि ₹5.02 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन (आर डी एवं पी आर) डी बी जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30. दिनाक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म एक्स या डब्ल्यू प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को राशि **₹502511.0** का अनियमित भुगतान किया गया। जिसे **"परिशिष्ट संख्या - 04"** में दर्शाया गया है ।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः -07 दिनांक 04.07.25 के प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी । अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

8.4 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.23 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान तथा सेवा पर 18 % GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि **₹502511.0** का भुगतान किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान/साक्ष्य अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹**23929**/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है। जिसे **"परिशिष्ट संख्या - 04"** में दर्शाया गया है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 04-07-2025 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया *गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली*

करके संबंधित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

8.5 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर 0.10 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **₹502511.0 लाख** का भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर ₹**10050/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है। जिसे **"परिशिष्ट संख्या - 05"** में दर्शाया गया है।

इस बारे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -12 दिनांक 05-07-2025 के संदर्भ में सचिव द्वारा कोई प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, जीएसटी TDS कि कटौती की वसूली कर ली जाएगी

अत :उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त जीएसटी टीडीएस की कटौती की राशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8.6 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर/बजरी के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण ₹ 0.54 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री को परिवहन के अंतर्गत क्रम (2.1.2.13) में पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति में रिक्तियाँ (Voids) की 12.5% व 5% दर से कटौती करना निर्धारित है

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने के उपरान्त आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते हुए 12.5% व 5 % की दर से रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट - 05**" के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर आपूर्तिकर्ता को पत्थरों की खरीद हेतु 12.5% की दर व बजरी पर 5 % की दर से रिक्तियों की कटौती किये बिना कुल राशि ₹**417152** का भुगतान किया गया जिस पर राशि ₹**54136**/- का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 05.07.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे अवगत करवाया गया था , जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी ।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचर के प्रति किये गये अधिक भुगतान को नियमानुसार व तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा उक्त राशि की कटौती उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि /कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

8.7 ₹ 4.28 लाख का सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व् रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय ,उसका

यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी। परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट -6** अनुसार राशि ₹ 428351/-के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 27-06-2025 द्वारा सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कोई प्रतिउतर नही दिया गया।

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9. विविध अनियामितातायें

9.1 मस्टरोलों व बिल वाउचर में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबँद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।
1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त बिना pass order के भुगतान भी कर दिया गया जोकि नियमों की अवहेलना है व संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिससे कि किए गए भुगतान की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

Muster Roll No	CB Page No /Date	Amount	Discription Of Item	Head	Name of Work
32660-32659	12/01.07.2024	78400	LABOUR .PAYMENT	OWN SOURCES	C/O RAIN SHED SATLEI ,C/O OF KHEL MAIDAN ANGLE JALA DROBI

जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 05.07.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था जिसका कोई प्रतिउतर में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, उक्त अनियमितता को नहीं दोहराया जाएगा। अत: उक्त किये गये व्यय को नियमित करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये

9.2 मनरेगा मद के अंतर्गत राशि ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिये नकद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यथास्थिति ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरित या अद्याक्षरित अदायगी धारित नहीं करता।

अंकेक्षण के दौरान नमूना जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार मस्टरोल व बिलों का भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता तथा मजदूरों को अधिक भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत दिए गये रोजगार से सम्बंधित मांगे गये रोजगार के आवेदन पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये जिस कारण किये गये भुगतान की सत्यता की पुष्टि नही हो सकी ।

S No.	Muster Roll No.NO	Work Name	Date of Payment	Payment as per Muster Roll	Actual Payment	Excess Payment
1	8671	C/o Soil Conservation Work Kokdi Chulla	20-07-2024	35520.00	37042.92	1522.92
2	8672	C/o Soil Conservation Work Kokdi Chulla	20-07-2024	6480.00	6757.83	277.83
3	119		04.06.24	20400	22760	2360
					Total Rs.	4160.75

जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 05.07.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था जिसका कोई प्रतिउतर सचिव द्वारा प्रस्तुत नही किया गया

अता उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

9.3 बिल वाउचर के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत सराहन के लेखों के नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा जो व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1.बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिल/वाउचर का भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 05.07.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था जिसका कोई प्रतिउतर में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, भविष्य में इस तरह की अनियमितता को नही दौहराया जायेगा।

अत: उक्त किये गये व्यय को नियमित करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

09.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8 .	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी
9.	Mnrega FTO , व वेंडर लिस्ट व BPL रजिस्टर,कारवाही रजिस्टर अपूर्ण		

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12, दिनांक 05.07.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.5 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलन्स, प्राप्ति एवं भुगतान खाता इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा ट्रायल बैलन्स, बैलन्स शीट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गए जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता

इस सम्बद्ध में जारी अंकेक्षण अभियाचना संख्या 12 दिनांक 05-07-2025 के प्रतिउतर में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्योंकि अभिलेखों को वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्तिथि स्पष्ट करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं कि या जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस सम्बद्ध में जारी अंकेक्षण अभियाचना संख्या 12 दिनांक 05-07-2025 के प्रतिउतर में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, पंचायत द्वारा उक्त खरीदी गई सामग्री, स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन करवा लिया जाएगा।

अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

12. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

07.11.2025
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

6919-6923 07 NOV 2025 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच(पंच) 15(7)181/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

07.11.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/प्रति

परिशिष्ट - 1 पैरा संख्या 4 (अ) [illegible] के संदभ में

Financial Position of Own Sources and Grant in Aid r/o				GP Sarahan	Dev. Block Mehla	Distt Chamba H.P
Y		Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2024 25	Own sources	₹ 7,13,086.38	₹ 21,21,234.00	₹ 28,34,320.38	₹ 21,29,726.00	**₹ 7,04,594.38**
	Grant in Aid	₹ 8,06,174.70	₹ 2,43,58,343.51	₹ 2,51,64,518.21	₹ 2,49,07,300.51	**₹ 2,57,217.70**
	Total	**₹ 15,19,261.08**	**₹ 2,64,79,577.51**	**₹ 2,79,98,838.59**	**₹ 2,70,37,026.51**	**₹ 9,61,812.08**

सचिव
ग्राम पंचायत सराहन
विकास खण्ड मैहला, चम्बा

परिशिष्ट - 3 पैरा संख्या - के संदभ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		GP Sarahan	Dev. Block Mehla	Distt Chamba HP	Year Ended	2024-25
S.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balanc
1	**VKVNY**	₹ 1,51,167.40	₹ 10,52,973.00	₹ 12,04,140.40	₹ 10,38,010.00	**₹ 1,66,130.4**
2	**SDP**	₹ 2,01,916.00	₹ 13,02,498.00	₹ 15,04,414.00	₹ 14,66,329.00	**₹ 38,085.0**
3	**MNREGA**	₹ 0.00	₹ 2,12,14,434.51	₹ 2,12,14,434.51	₹ 2,12,14,434.51	**₹ 0.0**
4	**SDRF**	₹ 4,14,506.30	₹ 5,31,279.00	₹ 9,45,785.30	₹ 9,32,291.00	**₹ 13,494.3**
5	**VMJS**	₹ 11,436.00	₹ 481.00	₹ 11,917.00	₹ 0.00	**₹ 11,917.0**
6	**BASP**	₹ 27,149.00	₹ 2,56,678.00	₹ 2,83,827.00	₹ 2,56,236.00	**₹ 27,591.0**
	Total	**₹ 8,06,174.70**	**₹ 2,43,58,343.51**	**₹ 2,51,64,518.21**	**₹ 2,49,07,300.51**	**₹ 2,57,217.7**
	Balane As Per Cash Book					
1	**Balance on 31.03.2025**	(Own Source)				₹ 7,04,594.3
2	**Balance on 31.03.2025**	VKVNY				₹ 1,66,130.4
3	**Balance on 31.03.2025**	SDP				₹ 38,085.0
4	**Balance on 31.03.2025**	MNREGA				₹ 0.0
5	**Balance on 31.03.2025**	SDRF				₹ 13,494.3
6	**Balance on 31.03.2025**	VMJS				₹ 11,917.0
7	**Balance on 31.03.2025**	BASP				₹ 27,591.0
				Total		₹ 9,61,812.0
	Balance as per Bank	**Balance on 31.03.2025**				
	A/c No	**Branch Name**	**Head / Scheme**			
1	19910100536	HPSCB SAHOO	VKVNY			₹ 1,21,757.4
2	19910100537	HPSCB SAHOO	SDP			₹ 56,678.0
4	19910100539	HPSCB SAHOO	SDRF			₹ 2,294.3
5	19910100538	HPSCB SAHOO	VMJS			₹ 12,170.0
6	19910100540	HPSCB SAHOO	BASP			₹ 22,452.0
7	19910100179	HPSCB SAHOO	GENERAL			₹ 4,40,283.2
8	17910107041	HPSCB MAIN CHAMBA	NIDHI			₹ 2,80,170.3
			CASH IN HAND			₹ 0.0
				Total		₹ 9,35,805.2
				Difference		₹ 26,006.8

1.E-gram swaraj Cash Book not maintained so income and expenditure taken from Manual(offline) cash book except 15th FC

2.Mnrega cash book not produced so income and expenditure taken from mnrega financial position

3.Certify that Panchayat has Seven bank accounts in various banks.including 15th fc

4.Certify that opening balances has been taken from bank passbook.

सचिव
ग्राम पंचायत सराहन
विकास खण्ड मेहला, चम्बा

परिशिष्ट - 3 पैरा संख्या :- 8.1 के संदर्भ में

GP SARAHAN DB MEHLA 2024-2025

STATEMENT SHOWING THE DETAIL OF STONE PURCHASE FROM VENDOR /QUOTATION WITH TANDER NOT PRODUCED IN AUDIT

SR.	NAME OF VENDER/SUPPLIER	GRANTS/GRANT	BILL NO	DATE OF PAYMENT	Resolution no /date Voucher date	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	Thakur Furnture House Vill kakdolu PO UTEEP	SF	37	24.07.24	NIL	FURNTURE /DOOR	49600
2	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	14	09-07-2024	03/17.05.24	Sand	42000
3	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	5	09-07-2024	03/17.05.24	Sand	24465
4	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	55	09-07-2024	03/17.05.24	Aggrigate	42048
5	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	3	09-07-2024	03/17.05.24	Sand	44380
6	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	53	09-07-2024	03/17.05.24	Aggrigate	46800
7	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	54	09-07-2024	03/17.05.24	Aggrigate	44496
8	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	111	10-07-2024	03/07.07.24	Sand	11270
9	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	112	10-07-2024	03/07.07.24	Aggrigate	23184
10	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	114	10-07-2024	03/07.07.24	Sand	11270
11	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	115	10-07-2024	03/07.07.24	Aggrigate	23184
12	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	109	10-07-2024	03/07.07.24	Sand	34000
13	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	110	10-07-2024	03/07.07.24	Sand	31654
						Total	428351

सचिव
ग्राम पंचायत सराहन
विकास खण्ड मेहला, चम्बा

परिशिष्ट - 4 पैरा संख्या :- 8.3 व 8.4, 8.5 के संदभ में

GP SARAHAN DB MEHLA 2024-2025

STATEMENT SHOWING THE DETAIL OF STONE ,SAND AGG, PURCHASE FROM VENDOR WITHOUT W,X FORM AND GST CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT ALSO TDS ON GST NOT

SR.	NAME OF VENDOR/SUPPLIER	GRANTS/GRANT	BILL NO	DATE OF PAYMENT	Resolution no /date Voucher date	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST NOT PAID /DEDUCTED	TDS ON GST
1	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	14	09-07-2024	03/17.05.24	Sand	42000	40000.0	2000.0	840.0
2	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	5	09-07-2024	03/17.05.24	Sand	24465	23300.0	1165.0	489.3
3	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	55	09-07-2024	03/17.05.24	Aggrigate	42048	40045.7	2002.3	841.0
4	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	3	09-07-2024	03/17.05.24	Sand	44380	42266.7	2113.3	887.6
5	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	53	09-07-2024	03/17.05.24	Aggrigate	46800	44571.4	2228.6	936.0
6	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	54	09-07-2024	03/17.05.24	Aggrigate	44496	42377.1	2118.9	889.9
7	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	111	10-07-2024	03/07.07.24	Sand	11270	10733.3	536.7	225.4
8	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	112	10-07-2024	03/07.07.24	Aggrigate	23184	22080.0	1104.0	463.7
9	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	114	10-07-2024	03/07.07.24	Sand	11270	10733.3	536.7	225.4
10	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	115	10-07-2024	03/07.07.24	Aggrigate	23184	22080.0	1104.0	463.7
11	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	109	10-07-2024	03/07.07.24	Sand	34000	32381.0	1619.0	680.0
12	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	110	10-07-2024	03/07.07.24	Sand	31654	30146.7	1507.3	633.1
13	RAVINDER KUMAR	OWN SOURCES	NIL	18-09-2024	NIL	STONE	34560	32914.3	1645.7	691.2
14	GHINDRU RAM GOVT. CONTRACTOR	OWN SOURCES	302	18-09-2024	NIL	STONE	40000	38095.2	1904.8	800.0
15	GHINDRU RAM GOVT. CONTRACTOR	OWN SOURCES	305	18-09-2024	NIL	SAND	21700	20666.7	1033.3	434.0
16	GHINDRU RAM GOVT. CONTRACTOR	OWN SOURCES	343	18-09-2024	NIL	SAND	15500	14761.9	738.1	310.0
17	GHINDRU RAM GOVT. CONTRACTOR	OWN SOURCES	346	18-09-2024	NIL	STONE	12000	11428.6	571.4	240.0
						Total	502511	478581.9	23929.1	10050.2

25

सचिव
ग्राम पंचायत सराहन
विकास खण्ड मेहला, चम्बा

परिशिष्ट - 5 पैरा संख्या :- 8.6 में के संदर्भ में

GP SARAHAN DB MEHLA 2024-2025

STATEMENT SHOWING THE DETAIL OF STONE /BOLDER PURCHASE FROM VENDOR ON WITH VOIDS NOT DEDUCTED

SR.	NAME OF VENDER/SUPPLIER	GRANTS/GRANT	BILL NO	DATE OF PAYMENT	Resolution no /date Voucher date	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	Voids Deduction @12.5 % on Stone and 5% on Agrr.
1	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	104	09-07-2024	03/17.05.24	Stone	16800	2100.0
2	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	55	09-07-2024	03/17.05.24	Aggrigate	42048	2102.4
3	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	107	09-07-2024	03/17.05.24	Stone	18700	2337.5
4	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	105	09-07-2024	03/17.05.24	Stone	19200	2400.0
5	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	102	09-07-2024	03/06.05.24	Stone	17160	2145.0
6	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	101	09-07-2024	03/06.05.24	Stone	17160	2145.0
7	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	106	09-07-2024	03/17.05.24	Stone	15600	1950.0
8	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	103	09-07-2024	03/17.05.24	Stone	6960	870.0
9	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	53	09-07-2024	03/17.05.24	Aggrigate	46800	2340.0
10	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	54	09-07-2024	03/17.05.24	Aggrigate	44496	2224.8
11	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	112	10-07-2024	03/07.07.24	Aggrigate	23184	1159.2
12	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	115	10-07-2024	03/07.07.24	Aggrigate	23184	1159.2
13	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	122	10-07-2024	03/07.07.24	Stone	44000	5500.0
14	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	123	10-07-2024	03/07.07.24	Stone	23100	2887.5
15	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	117	10-07-2024	03/07.07.24	Stone	19200	2400.0
16	Ravinder Kumar S/o Bhindu VPO Sarahan GP Sarahan	MGNREGA	119	10-07-2024		Stone	22760	2845.0
17	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	118	10-07-2024	03/07.07.24	Stone	16800	2100.0
18	RAVINDER KUMAR	OWN	NIL	18-09-2024		STONE	34560	4320.0
19	GHINDRU RAM GOVT. CONTRACTOR	OWN	302	18-09-2024		STONE	40000	5000.0
20	GHINDRU RAM GOVT. CONTRACTOR	OWN	305	18-09-2024		SAND	21700	2712.5
21	GHINDRU RAM GOVT. CONTRACTOR	OWN	343	18-09-2024		SAND	15500	1937.5
22	GHINDRU RAM GOVT. CONTRACTOR	OWN	346	18-09-2024		STONE	12000	1500.0
						Total	417152	54135.6

26

परिशिष्ट - 8 पैरा संख्या :- 8.7 के संदर्भ में

GP SARAHAN DB MEHLA 2024-2025

STATEMENT SHOWING THE DETAIL OF STONE PURCHASE FROM VENDOR WHICH STOCK ENTRY NOT PRODUCED IN AUDIT

SR.	NAME OF VENDER/SUPPLIER	GRANTS/GRAI	BILL NO	DATE OF PAYMENT	Resolution no /date Voucher date	ITEM	AMOUNT
1	Thakur Furnture House Vill kakdolu PO UTEEP	SF	37	24.07.24	NIL		49600
2	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	14	09-07-2024	03/17.05.24	Sand	42000
3	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	5	09-07-2024	03/17.05.24	Sand	24465
4	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	55	09-07-2024	03/17.05.24	Aggrigate	42048
5	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	3	09-07-2024	03/17.05.24	Sand	44380
6	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	53	09-07-2024	03/17.05.24	Aggrigate	46800
7	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	54	09-07-2024	03/17.05.24	Aggrigate	44496
8	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	111	10-07-2024	03/07.07.24	Sand	11270
9	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	112	10-07-2024	03/07.07.24	Aggrigate	23184
10	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	114	10-07-2024	03/07.07.24	Sand	11270
11	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	115	10-07-2024	03/07.07.24	Aggrigate	23184
12	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	109	10-07-2024	03/07.07.24	Sand	34000
13	Sanju S/O Bhano Ram Vill. Ran GP Sarahan	MGNREGA	110	10-07-2024	03/07.07.24	Sand	31654
						Total	428351

सचिव
ग्राम पंचायत सराहन
विकास खण्ड मेहला, चम्बा